

प्रत्यक्ष धर्मों के लिए अभियान-2021
 फौजो अकेम्य स्थल कोर्ट दिनांक:- 25/05/22

क्रमांक / प्र. जा. के. सं. / 2022 / 16 दिनांक 25/05/22
 न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राजस्थान सरकार

मि. नं. 68/2022 आदेश कोर्ट
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट) केम कोर्ट

पू.अ.नि. प्रार्थी के "खातादुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

नाथ तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम तहसील में खाता संख्या 778, 779 में जिला जयपुर की जमाबन्दी संख्या 2073-2076 में 778, 779 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भाकड़ पूरक	37, 853	फकीर मोहम्मद पुत्र सखू शर्मा	फकीर मोहम्मद पुत्र सखू शर्मा
2.	भाकड़ पूरक	778, 779	फकीर मोहम्मद पुत्र सखू शर्मा	फकीर मोहम्मद पुत्र सखू शर्मा

शिविर प्रभारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 जयपुर

क्रमांक प्र. जा. के. सं. अभि. / 2022 / 17-18

दिनांक :- 25/05/22

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री फकीर मोहम्मद पुत्र सखू शर्मा नि. वाड को सूचनाएं।
3. रक्षिता पत्रावली न. 22 भाकड़

शिविर प्रभारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जयपुर